# न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रा. पत्र/2023/54

दी भरतपुर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1– मुकेश कुमार पुत्र मोहन सिंह, मंडी अटलबंद रोड भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी/सम्पति मालिक

2– कुलदीप पुत्र मोहन सिंह अटलबंद मंडी रोड भरतपुर
3– राकेश कुमार पुत्र मोहन सिंह अमान मोहल्ला भरतपुर

.....अप्रार्थी गारंटर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

दिनांक 25.10.2023

## आदेश

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाने जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 23.03.2019 को 2000000/– (बीस लाख रूपये) रूपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थी ने अपनी मोरी चारबाग भरतपुर जिला भरतपुर स्थित अचल आवासीय सम्पत्ति जिसकी सीमाऐं निम्न है उत्तर में– भगवान सिंह का घर, दक्षिण में –गली, पूर्व में– लालाराम का घर, पश्चिम में रोड स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 30–12–2020 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 12–07–2023 तक 2340598/– रूपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 09–03–2023 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और अनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दी भरतपुर अरबन को–ऑपरेटिव बैंक बनाम मुकेश कुमार वगे.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 09–03–2023 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में मोरी चार बाग भरतपुर जिला भरतपुर स्थित अपनी अचल आवासीय सम्पत्ति जिसकी सीमाऐं निम्न है उत्तर में– भगवानसिह का घर, दक्षिण में – गली, पूर्व में– लालाराम का घर , पश्चिम में रोड़ स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( लोक बंधु )
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर